

कानूनी गुरुता (एस.)
वृत्तिरूप १७

कलाहू अॅफ कोर्ट
महाराष्ट्र संसदीय मंड़े नियमित

23.9.17

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष

PBR | निगरानी | ५३४ | शुक्रवार | २०१७/३५१६

(196)

जितेन्द्र पिता तीरथदास रामनानी

निवासी बाबाजी इलेक्ट्रीक, महारानी रोड,
इन्दौर

— प्रार्थी

विरुद्ध

1— अनिल अग्रवाल पिता श्री सुरेशचंद्र अग्रवाल
निवासी 20, रानीबाग, ग्राम लिम्बोदी, खण्डवा रोड
इन्दौर

2— हेमंतकुमार पिता श्री मांगीलाल काबरा
निवासी 60/1, लोधीपुरा, इन्दौर तर्फ आम मुख्यत्यार

3— प्रेमतवर पिता श्री रतनलाल तंवर,
निवासी 464, एल.आई.जी. सेकण्ड,
स्कीम नं. 71, इन्दौर

4— संदीप पिता श्री रमेशचंद्र बाहेती,
निवासी 14, ओल्ड पलासिया, इन्दौर

5— म.प्र. शासन

— प्रतिप्रार्थीगण

वाद बटांकन की तरमीम उठाने वाबद

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता के तहत

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर जिला इन्दौर द्वारा
अपील प्रकरण क्र. 42/15-16 में पारित आदेश दिनांक 24.08.17
(जिसकी जानकारी सर्वप्रथम अपीलार्थी को दिनांक 18.09.2017 को
प्राप्त हुई) से असंतुष्ट एवं दुखित होकर नकल प्राप्ति में लगा समय
मुजरा देते यह निगरानी आवेदनपत्र निम्न तथा अन्य आधारों पर योग्य
मुद्रापत्रों पर सादर प्रस्तत है —

घटनाक्रम —

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विंद्वान
अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष तहसीलदार सांवेर के राजस्व
प्रकरण क्र. 13 अ-3/13-14 के दिनांक 22.08.14 की कार्यवाही द

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, गवालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/2017/3516

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	<p>आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री कपिल यादव उपस्थित। अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री रुचिर पाराशर अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> अध्यक्ष</p> <p style="text-align: center;"> ४३८</p>	